

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(12)नविवि/उच्चैन/2022


जयपुर दिनांक: 40 APR 2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उप नगर नियोजक, भरतपुर को उच्चैन, भरतपुर के नगरीय क्षेत्र, जिसमें 20 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जाता है, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2041 बनाने हेतु नियुक्त करती है।

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम
1.	खरैरा	11.	गिलगिलियापट्टी
2.	बरकोली	12.	बारहपट्टी
3.	जुगलापट्टी	13.	मुढ़ेरा
4.	गहलऊ	14.	हाडौली
5.	खरका	15.	कुन्देर
6.	चुरारीगूजर	16.	नगला टीकैता
7.	चकखरका	17.	उच्चैन
8.	रूंधखरका	18.	अंधियारी
9.	बहरा रेखपुरा	19.	नेकपुर
10.	तुहियापट्टी	20.	कैमासी

राज्यपाल की आज्ञा से


(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, भरतपुर।
- निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
- मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर) राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
- उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।
- अधिशिषी अधिकारी, नगर पालिका, उच्चैन।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- रक्षित पत्रालयी।

11
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय